

470

टिप्पणी

यसूरी देहरादून विकास क्षेत्र में ले-आऊट प्लान तथा भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु इको-फण्ड के संबंध में।

सो पोषासन द्वारा पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्र अव के संबंध में

सहमत है :-

ले-आऊट प्लान स्वीकृत के संबंध में ^{सूक्ष्म} क्षेत्र में 40 प्रतिशत क्षेत्रफल में रु 10/- प्रति मीटर की दर से इको-फण्ड आरोपित किया जाय।

आवाराय भवन मानचित्रों पर भू-खण्ड के क्षेत्रफल पर निम्न स्लेब-रेट के अनुसार आरोपित किया जाय :-

- 1) 100 वर्ग मीटर तक - नून्य
- 2) 250 वर्गमीटर तक रु 7/- प्रति वर्ग मीटर
- 3) 250 वर्ग मीटर से अधिक रु 10/- प्रति वर्ग मीटर की दर से

सहमत है।

उक्त फण्ड के लिये एक अलग खाता खोला जायेगा तथा प्राप्त होने वाली धनराशि इसी खाते में सीधे भण्डान की जायेगी जिससे इस मद हेतु लिये जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के सामान्य खाते में किसी भी समय न जा पाये। इस खाते से केवल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं के लिये अध्यक्ष की अनुमति से आहरित की जा सकेगी। किसी भी अन्य कार्य के लिये किन्हीं भी परिस्थितियों में आहरण किया जाना अत्यन्त गम्भीर कदाशय का कार्य होगा और इसके लिये उपाध्यक्ष एवं सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3/7/97

06.08.1997
(बलराम भूपाल पुष्पा)
सचिव
घाबान विभाग
सहरादश धारण